न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
024/2021 (रसद) (GCMS 2021/503)	13.10.2021	27.09.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये मनजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मिथलेश जायसवाल पिता रामप्रसाद जायसवाल निवासी डगला का खेड़ा, ग्राम पंचायत धनेत, जिला चित्तौड़गढ़
2. गोविन्द मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा निवासी घोटारसी जिला प्रतापगढ़

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
केएल सुखवाल — अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी मनजीत सिंह, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.07.2021 को विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को डी.एस.टी. टीम से दूरभाष पर मिली सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेशनुसार आवेदक मनजीत सिंह, प्रवर्तन अधिकारी हमराह शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना चन्देरिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर मौके पर खड़े महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** जिसके पीछे एक टैंकर लगा हुआ है का मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित व्यक्ति मिथलेश जायसवाल पुत्र राम प्रसाद निवासी डगला का खेड़ा ग्राम पंचायत धनेत जिला चित्तौड़गढ़ से पूछताछ कर इनके बयान

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

लिये जाकर फर्द मौका के साथ संलग्न किये गये। मौके पर ही उपस्थित ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** के चालक गोविन्द मीणा पुत्र सीताराम मीणा निवासी घोटारसी जिला प्रतापगढ़ के भी बयान दर्ज कर फर्द मौका के साथ संलग्न किये गये। मिथलेश जायसवाल ने अपने बयानों में बताया कि यह ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** उसका स्वयं का है व इसका चालक गोविन्द मीणा है। इस टैंकर का उपयोग पूर्व में पानी ले जाने हेतु किया जाता था, जिसका मोडिफिकेशन कर इस टैंकर से एक डिस्पेन्सिंग यूनिट जोड़कर इसके एक नोजल लगवा दिया गया। टैंकर के साथ जोड़े गये डिस्पेन्सिंग यूनिट से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा की रीडिंग बताने वाला एक स्लिप जनरेटिंग इलेक्ट्रोनिक मीटर लगवा दिया गया। वह अब इस टैंकर का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में करता है। मौके पर महिन्द्रा टैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** से लगे टैंकर में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का मिथलेश जायसवाल, गोविन्द मीणा व गवाहों के समक्ष डिप रोड मापक से मापन करने पर टैंकर में कुल 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर उपस्थित मिथलेश जायसवाल से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व व्यापार से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होनें पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डार व व्यापार से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। मिथलेश जायसवाल द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्ड़ारण व व्यापार से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त टैंकर में भरे 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन में प्रयुक्त महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** को अवैध मानते हुए मेरे द्वारा मिथलेश जायसवाल से अधिग्रहित कर जब्त किया गया। उक्त जब्तशुदा 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के नियमानुसार **A1, A2** व **A3** कांच की तीन स्वच्छ बोतलों में 750 **ML** मात्रा प्रति बोतल के तीन नमूने लिये गये। मौके पर ही उक्त नमूनों को सील चस्पा कर मिथलेश जायसवाल, गोविन्द मीणा व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना **A1** वास्ते **FSL** जांच प्रभारी मालखाना पुलिस थाना चन्देरिया की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द नमूना तैयार कर फर्द मौका के साथ संलग्न किया गया। नमूना **A2** व **A3** कांच कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिया गया। मौके पर ही गवाहों व मिथलेश जायसवाल एवं चालक गोविन्द मीणा की उपस्थिति में टेंकर के उपर बने ढक्कन (मेन हॉल) को प्लास्टिक सील संख्या **1048221, 1048276** व **4047156** से व टेंकर के पीछे लगे नोजल को प्लास्टिक सील संख्या **1048255] 1048289** व **1048230** से सील किया गया। इसके पश्चात् जब्तशुदा 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** मय टेंकर सहित की फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा तैयार कर जब्तशुदा महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** मय टेंकर व 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ प्रभारी मालखाना पुलिस थाना चन्देरिया की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सुपुर्दगी में दिया जाकर फर्द जब्ती मय सुपुर्दगी नामा पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। मिथलेश जायसवाल व चालक गोविन्द मीणा द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन, भण्ड़ारण व व्यापार किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन है। अंत में प्रार्थना की गई कि जब्तशुदा महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** मय टेंकर व 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात कराने का श्रम करावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 11.01.2022 को विपक्षीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र मय जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 27.09.2022 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर पत्रावली को उभयपक्ष की सहमति से वास्ते बहस नियत किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि विपक्षी का उक्त प्रकरण एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं होना अवगत कराया गया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा महिन्द्रा ट्रैक्टर वाहन संख्या **RJ09RB1621** मय ट्रोली नंबर **RJ09EV0056** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 300/2021(रे.वि.) निर्णय दिनांक 27.09.2022 अनवानी रामप्रसाद बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **8,00,000/-** अक्षरे आठ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना चन्देरिया में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 138/2021 दिनांक 15.07.2021 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 138/2021 दिनांक 15.07.2021 में अभिग्रहित 1350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ थानाधिकारी, पुलिस थाना चन्देरिया से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना चन्देरिया को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official